राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2832/2025

रतिराम खटीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, कमरा संख्या 7225, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सैनिक कल्याण विभाग, कंपनी बाग के सामने, अलवर, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.05.2025
आदेश की दिनांक : 30.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अर्पित जैन, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कल्याण संघ संघठक के पद पर सैनिक कल्याण विभाग, अलवर में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उसे बहरोड से अलवर दिनांक 28.09.2016 को स्थानांतरित किया गया और अपीलार्थी ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अलवर में कार्यग्रहण किया तथा आदेश दिनांक 11.04.2018 के द्वारा अपीलार्थी को बीकानेर स्थानांतरित किया गया, जिसे अपीलार्थी ने चुनौती दी और उसे बीकानेर से बहरोड दिनांक 01.06.2018 को स्थानांतरित किया गया, परंतु दिनांक 15.11.2022 को पुनः अपीलार्थी को बहरोड से अलवर स्थानांतरित किया

गया और अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 15.01.2025 को अलवर से भीम स्थानांतरित किया गया, जिसे अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती दी, जिसे अधिकरण द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया और अधिकरण के आदेश को अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2610/2025 प्रस्तुत की, जिसे एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज कर दी गई, तदुपरांत अपीलार्थी ने उक्त आदेश खंडपीठ में डी.बी.एसएडब्ल्यू 133/2025 प्रस्तुत की, जिसे अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि परिपत्र दिनांक 09.02.2024 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना को ध्यान में रखते हुये अभ्यावेदन का निस्तारण किया जावे तथा उचित आदेश जारी किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कल्याण संघ संघठक के पद पर सैनिक कल्याण विभाग, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अलवर से भीम स्थानांतरित किया गया, जिसे अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती दी, जिसे अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की अपील संख्या 503/2025 को आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2610/2025 प्रस्तुत की, जिसे एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज कर दी गई। तदुपरांत अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एकलपीठ के आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ में चुनौती दी गई, जिसे खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय की पालना में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जहां तक खंडपीठ के आदेश की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निस्तारण नहीं किये जाने का प्रश्न है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ डी.बी.

स्पेशल अपील रिट संख्या 133/2025 जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई, के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपने स्थानांतरण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये और जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील अधिकरण में चलने योग्य/पोषणीय (maintainble) नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य